आई.सी.ए.आर. – केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान,
अमरावती रोड, नागपुर – 440033

नीलामी सूचना 01/2024

केन्द्रीय नीबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, अमरावती रोड, नागपुर मे स्थित ॲसिड लाईम फ्रुट्स (नीबू) **ब्लाक नं. 101, 102, 103, 105ए, 109ए, 127ए, 112ए, 207, 210, 211, 212, 213 और 123** इत्यादी में स्थित पौधों पर लगे नीबू फलों की सार्वजनीक नीलामी दिनांक 15.04.2024 को की जायेगी, इस संबंध में इच्छुक ठेकेदार को खरीददारी हेतु कीमत को दिनांक 15.04.2024 को पूरी तरह से भरकर रू. 5,000/- की सुरक्षा जमा राशी के साथ (ई.एम.डी.) डी.डी. ICAR Unit CCRI, Nagpur के नाम दोपहर 11.30 बजे तक बंद लिफाफे में आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. आफिस में जमा करनी होगी। जिसे अपरान्ह 12.00 बजे ठेकेदार या उनके प्रतिनिधी के सामने खोला जायेगा।

नीलामी निम्नलिखित नियमों व शर्तो के आधार पर होगी।

नीबू के **ब्लाक नं. 101, 102, 103, 105ए, 109ए, 127ए, 112ए, 207, 210, 211, 212, 213 और 123** में स्थित पौधों में लगे नीबू के फलों की नीलामी एक साथ होगी। कोटेशन भरने वाले ठेकेदार को रू. 5,000/- (रू. पाच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि का डी.डी. आई.सी.ए.आर. यूनीट सी.सी.आर आई. नागपुर के नाम बना कर जमा करना होगा जो कि निदेशक, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. द्वारा सर्वाधिक बोली स्वीकार करने पर सफल ठेकेदार को छोडकर अन्य लोगों को वापस कर दी जायेगी।

- सफल बोली स्वीकार्य व्यक्ति को नीलामी राशि का **50 प्रतिशत** राशि (आधी रक्कम) तुरंत जमा करनी होगी और 50 प्रतिशत शेष राशि (धरोहर राशि) उसे एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी **50 प्रतिशत राशि भी जप्त कर ली जायेगी।**
- **अंतिम बिकी पत्र पूरी राशि जमा करने पर ही जारी किया जायेगा** तथा इसके पहले आई.सी.ए. आर.–.सी.सीआर.आई. से, उसे नीलाम किए गई कोई भी नीबू फल ले जाने की अनुमती नहीं दी जायेंगी।
- नीलाम किये गये फलों को **ठेकेदार द्वारा 30 जून 2024 के पूर्व उसे अपने श्रमिकों से तोडना होगा** । यदि ठेकेदार निर्धारित समय में नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से ले जाने में असमर्थ रहता है और निदेशक महोद्य उसे अनुमति नही देते तो वह फलों को नहीं ले जा सकेंगा।
- मूल्य निर्धारण कीमत कोटेशन खोलने के पश्चात घोषित की जायेगी।
- ठेकेदार तुडाई या तुडाई के समय अनुसंधान हेतु वैज्ञानिकों द्वारा लेने वाले फलों पर कोई आपत्ति नही करेगा।
- नीबू के ब्लॉको में से फल तोडने से पहले जान ले की, अनुसंधान हेतु लिये जाने वाले फल तोडे गये है या नही।
- **ठेकेदार को तुडाई की सूचना कम से कम दो दिन पहले देनी होगी** और वह तोडे गये नीबू के फलो को उसी पेड के नीचे रखेगा जिससे संबंधित वैज्ञानिक अपने अनुसंधान प्रयोग हेतु उनकी गिनती उसी दिन कर सके। पेड से उनके गुणात्मक पहलुओं को जानने हेतु कुल 5 फल प्रति पेड़ बिना कीमत दिये लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई नीबू फल लेते हैं तो उसकी कीमत

कार्यालय द्वारा निश्चित की गयी दर पर अदा कर दी जायेगी। अगर कम नीबू फल लेते है तो निधारित कीमत से उससे वसूली की जायेगी।

- तकनीकी अधिकारी, द्वारा नीलामी किये गये नीबू के फलों को आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. से बाहर ले जाने हेतु संबंधित प्रभारी प्रशा. अधिकारी एवं प्रभारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से गेट पास जारी की जायेगी।
- ठेकेदार नीबू के फलों को चोरी से बचाने के उपाय स्वयं करेगा। कार्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- फार्म पर बिक्री काउंटर नहीं खोलने दिया जायेगा।
- रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन नीबू फलों को तोडने नही दिया जाएगा और न ही उन्हे बाहर ले जाने की अनुमती दी जायेगी और न ही किसी व्यक्ति या वाहन को अंदर आने की अनुमती दी जायेंगी।
- संस्थान के निदेशक महोद्य को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- नीलामी के समय परिस्थिती को ध्यान में रखकर निदेशक महोद्य को शर्तो में किसी भी बदलाव का अधिकार होगा।
- खराब तथा नीचे गिरे हुये नीबू फल स्वयं ठेकेदार को हटाना होगा।
- **ठेकेदार को बयाना (ई.एम.डी.) राशि वापस लेने के लिए फार्म प्रभारी से ना हरकत प्रमाणपत्र लेकर कार्यालय में जमा करना होगा ।**

प्रभारी प्रशा. अधिकारी
आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर

प्रतिलिपीः
१. डॉ. नरेश मेश्राम, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
२. डॉ. दर्शन कदम, वैज्ञानिक एवं सहायक फार्म प्रभारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
३. श्री. वी.पी. भालाधरे, तकनीकी अधिकारी एवं फार्म अधीक्षक, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई. नागपुर।
४. डॉ. सुनील कुमार यु.टी., मुख्य तकनिकी अधिकारी तथा इस्टेट ऑफिसर, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
५. वित्त एवं लेखा अधिकारी, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
६. कॅश ॲण्ड बील सेक्शन, आई.सी.ए.आर.–सी.सी.आर.आई., नागपुर।
७. नॅशनल प्रोटेक्टीव सिक्यूरिटी सर्विसेस, 102 दिपीका अरीहन्त कोहीनूर अपार्टमेंन्ट, त्रीमुर्ती नगर, नागपुर 22।
८. श्री डी. डी. बॅनर्जी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, उपरोक्त नीलामी सुचना संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।